प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **20-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अतिरिक्त दहेज की मांग कर मारपीट करने, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के अभियोग में वांछित आरोपी को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2025 को वादिनी निवासनी थाना मूढ़ापाण्डें ने आरोपीगण द्वारा वादिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुये वादिनी व उसके जीजा के सथ मारपीट करने के संबंध में तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्डें पर मु0अ0सं0- 226/2025 धारा-115(2) बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान मुकदमा उक्त से संबंधित वादिनी के जीजा के मारपीट में गंभीर चोट से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा- 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा मुकदमा उक्त वांछित अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मुन्ना सिंह यादव निवासी ग्राम नाजरपुर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व दिनांक 09.06.2025 मुकदमा उक्त से संबंधित अभियुक्त दीनदयाल पुत्र मुन्ना सिंह यादव निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोगः-

मु0अ0सं0- 226/2025 धारा-115(2)/105 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

महेन्द्र पुत्र मुन्ना सिंह यादव निवासी ग्राम नाजरपुर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 नरेन्द्र पाल सिंह थाना मूढ़ापाण्डें जनपद मुरादाबाद

2-हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना मूढ़ापाण्डें जनपद मुरादाबाद।

2- लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने व मारपीट, छेडछाड करने व धमकी देने के अभियोग में नामित/वांछित आरोपी को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2025 को वादी निवासी थाना मूढ़ापाण्डें क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने व मारपीट, छेडछाड करने व धमकी देने के संबंध में थाना मूढ़ापाण्डें पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्डें पर मु0अ0सं0-252/2025 धारा- 87/115(2)351(2)/352/74/69 बीएनएस बनाम शोएब के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद करते हुये अभियुक्त शोएब पुत्र आसिफ निवासी ग्राम रामपुर भीला थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यावाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 252/2025 धारा- 87/115(2)351(2)/352/74/69 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तः-

शोएब पुत्र आसिफ निवासी ग्राम रामपुर भीला थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 दीपक राणा थाना मूढापाण्डें जनपद मुरादाबाद

2-हे0कां0 कुलदीप नागर थाना मूढापाण्डें जनपद मुरादाबाद।

3- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 30 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 30 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कोतवाली-01, थाना मुगलपुरा-01, थाना गलशहीद-03, थाना कटघर-04, थाना सिविल लाईन्स-01, थाना पाकबड़ा-02, थाना मूढ़ापाण्डें-02, थाना कांठ-01, थाना छजलैट-05, थाना डिलारी-03, थाना बिलारी-06, थाना कुन्दरकी-01